

## प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में, वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक की अवधि को आच्छादित करते हुये उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को सम्मिलित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित वे प्रकरण हैं जो वर्ष 2017-18 से 2022-23 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये तथा साथ ही वे भी जो पहले के वर्षों में संज्ञान में आये, परन्तु पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके; तथा वर्ष 2022-23 के बाद की अवधि से संबन्धित प्रकरणों को भी, जहाँ ऐसा किया जाना आवश्यक था, सम्मिलित किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संपादित की गयी है।